

माहेश्वरी प्रगति मण्डल

माहेश्वरी भवन, 603, जगन्नाथ शंकर शेठ रोड, गिरगांव, मम्बई - 400 002.

फोन : 2200 5026 / 27 / 28

Website: www.mumbaimaheshwari.com • E-mail:info@mpmmumbai.in

पासपोर्ट साईज फोटो

आजीवन सदस्यता के लिए आवेदन पत्र

(मण्डल विधान की धारा 3.3 (a) के अन्तर्गत)

(कृपया आवेदन पत्र हिन्दी में भरें एवं टे.नं., मो.नं., पिन कोड नं. आदि की जानकारी अंग्रेजी अंक में लिखें ।)

मंत्री महोदय,		दिनांक		
	ोवन सदस्य बनना चाहता / चाहती हूँ तथा मेरी उम्र 18 वर्ष एवम् उससे अि		का वचन देता / देती हूँ। मैं	
आवेदक का नाम	जाति (साख)		जन्म तारीख	
पिता / पति का नाम	व्यवसाय			
पता निवास				
	तु नियम क्रमांक 6 के अनुसार आवश्यव	ज्दस्तावेज की सत्यापित प्रति सं	लग्न करें)	
पता व्यवसाय				
दूरध्वनि : नि.	का	फैक्स_		
मोबाईल	ई-मेल			
नैने अपनी आजीवन सदस्यता शुल्क के रु.				
श्री / श्रीमती / कुमारी		को दिनांक	को दिया है /	
मण्डल कार्यालय में जमा करा दिया है।				
प्रस्तावक के हस्ताक्षर		आवेदक के हस्ताक्षर		
प्रस्तावक का नाम		प्रस्तावक की सदस्य संख्या		
	* कार्यालय के उपयोग	हेतु *		
शुल्क प्राप्ति तारीख	शुल्क प्राप्त कर्ता (हस्ताक्षर)			
मण्डल की व्यवस्थापिका सभा बैठक संख्या	दिन	गंक में इ	स सदस्यता आवेदन पत्र को	
स्वीकार / अस्वीकार किया गया।				
सदस्य संख्या :	रसीद नं.	दिनांक	•	

• सदस्य बनने के लिये नियम •

- माहेश्वरी जाति का कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो मुम्बई महानगर क्षेत्र एवम् मीरा रोड क्षेत्र में निवास करने वाला हो एवम् जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मण्डल का सदस्य बन सकता है।
- आजीवन सदस्यता राशि रु. 1180/ नगद / चेक 'माहेश्वरी प्रगति मण्डल' (Maheshwari Pragati Mandal) के नाम से इस आवेदन पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है।
- सदस्यता के लिये आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता एवम् प्रस्तावक के हस्ताक्षर भी निर्धारित स्थान पर होना आवश्यक है। केवल मण्डल का सदस्य ही प्रस्तावक हो सकता है।
- 4. मण्डल से तात्पर्य, **माहेश्वरी प्रगति मण्डल-मुम्बई** से है।
- आपका पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो इस फार्म के निर्धारित स्थान पर लगावें ।
- 6. पते की पुष्टि हेतु, जिसमें आपका नाम हो, **राशन कार्ड / इलेक्शन कार्ड / पासपोर्ट / बिजली बिल / महानगर गैस**बिल / आधार कार्ड में से किसी एक की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- अपने परिवर्तित पते की सूचना मण्डल कार्यालय में लिखित रुप में समय पर अविलम्ब भिजवायें, जिससे आवश्यक सूचनायें/सामग्री/सरसवाणी आदि आपको समय पर सुचारु रुप से प्राप्त हो सके ।

- मंत्री